न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/111/2025 रजि0 न0 2025/292

अपीलार्थीः–

श्री दिलीप कुमार शर्मा नि. गोल मार्केट
राजगढ़, अलवर – 301408

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त
जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर
(राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 25.08.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 05.06.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी की सूचना पत्र स. 2616942650 दिनांक 10.06.2025 से संतुष्ट नहीं होने पर प्रथम अपील इस न्यायालय में पेश की गयी ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना से अपीलार्थी संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है एवं इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.08.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय से जवाब पत्र संख्या लो0सू0अ0/प्रथम अपील 2025/1141–42 दिनांक 21.08.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया । प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 05.06.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार आर0टी0आई0 ऑनलाइन पोर्टल पर जरिये आवेदन संख्या 293296199843912 दिनांक 10.06.2025 दर्ज रजिस्टर आर0टी0आई0 ऑनलाइन पोर्टल पत्र स. 2616942650 दिनांक 10.06.2025 के माध्यम से अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक मे विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है । प्रति संलग्न है ।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया ऑनलाइन पत्र स. 2616942650 दिनांक 10.06.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है एवं पुनः अपीलार्थी को पत्र संख्या लो0सू0अ0/प्रथम अपील 2025/1141–42 दिनांक 21.08.2025 के संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
7. आज दिनांक 25.08.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर